शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./राशिके/मूल्यांकन/2020/5545 भोपाल, दिनांक - 11/5/2020

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय–कक्षा–1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर अगली कक्षा में प्रवेश कराए जाने विषयक।

संदर्भ– 1.म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का परिपत्र क्र.594/670/2020/20–2 दिनांक 19.3.20
2.म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का परिपत्र क्र.आर/594/670/2020/20–2 दिनांक 28.3.20

मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी उक्त संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवल कोरोना वायरस जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत 'कक्षा–1 से 8 के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किए जाने संबंधी निर्देश' प्रसारित किए गए हैं। **इनके परिपालन में निम्नानुसार कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जाए–**

1. प्रदेश के ऐसे अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालय –
   i. जिनमें कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 19.3.2020 अथवा उससे पूर्व सम्पन्न हो चुकी हैं, वे अपनी संस्था का वार्षिक परीक्षा परिणाम नियमानुसार घोषित करेंगे, परन्तु किसी भी दशा में विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोका (Detain) नहीं जायेगा।
   ii. जिन विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं सम्पन्न नहीं हो सकी थी उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–16 के प्रावधान के अनुरूप मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं आंतरिक मूल्यांकन (सतत एवं व्यापक मूल्यांकन) के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए।
2. समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–16 के प्रावधान के अनुरूप मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं आंतरिक मूल्यांकन (सतत एवं व्यापक मूल्यांकन) के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए।
3. परीक्षाफल पत्रक, प्रगति पत्रक, टी.सी. (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) में वार्षिक परिणाम के समक्ष निम्नांकित आशय की सील या पृथक रंग की स्याही के पेन से टीप अंकित करते हुए तत्पश्चात् प्रधानाध्यापक द्वारा अपनी पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर किए जाएं। रिजल्ट शीट का अनुमोदन पूर्वानुसार संबंधित संकुल केन्द्र से कराया जाए।

   > ''म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्र. आर/594/670/2020/20–2 दिनांक 28.3.20 के परिपालन में 'नोवल कोरोना वायरस संक्रमण बचाव' के दृष्टिगत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–16 के प्रावधान के अनुरूप आपको अगली कक्षा में प्रवेश हेतु प्रोन्नत किया जाता है।''

3. कक्षा–8 के विद्यार्थयों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएं।
4. पूरे सत्र के दौरान मासिक, त्रिमासिक (केवल कक्षा 5 व 8), अर्धवार्षिक व आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर पूर्व से तैयार प्रगति पत्रक, अन्य मूल्यांकन अभिलेखों में वार्षिक के कालम में डेश (–) अंकित किया जाए।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र. / राशिके / मूल्यांकन / 2020 / 5546 भोपाल, दिनांक :- 11.5.2020

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोकशिक्षण, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संचालक, राज्य ओपन स्कूल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक, पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, मदरसा बोर्ड, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण, समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग, समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. श्री शेखर सराठे, प्रोग्रामर, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र,
भोपाल